यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड- घनसाली (टिहरी गढ़वाल) द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड- घनसाली (टिहरी गढ़वाल) के माह 10/2017 से 09/2018 तक के लेखा-अभिलेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन श्री एस.के. सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी; श्री संजय कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी तथा श्री अनिल कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा श्री एस.के. जौहरी, लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में दिनांक 29.10.2018 से 09.11.2018 तक सम्पादित की गयी।

भाग-I

1). परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री रामवीर सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 12.10.2017 से 27.10.2017 तक श्री ए. सी. कटियार, व. लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 11.2016 से 09.2017 तक के लेखा-अभिलेखों की जांच की गयी थी।

2). (i). इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः विभाग का सृजन ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग के नाम से सन 1972 में हुआ। उत्तर प्रदेश से विभाजित उत्तराखण्ड राज्य में ग्राम्य विकास विभाग के विभिन्न विकास कार्यों के निर्माण कार्य का दायित्व विभाग को सौपा गया है। विभागीय पुनर्गठन के पश्चात ग्रामीण निर्माण विभाग के नाम से विभाग वर्तमान में विभिन्न विभागों के आवासीय / अनावासीय भवनों का निर्माण, नाबार्ड के अन्तर्गत स्वीकृत विभिन्न ग्रामीण मोटर मार्गों का निर्माण, पर्यटन स्थलों का सौंदर्यीकरण, दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त योजनाओं के पुन:निर्माण एवं विभिन्न खेल मैदानों का निर्माण आदि कार्य जो सुदूर आँचलों में स्थित है, का निष्पादन करवाया जाता है।

(ii) (अ) विगत वर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(रु. लाख में)

वित्तीय वर्ष	स्थापना			गैर स्थापना				
	आवंटन धनराशि	व्यय धनराशि	बचत	प्रारम्भिक अवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्ति	कुल प्राप्ति	व्यय	अवशेष
2015-16	115.43	97.57	17.86	452.06	619.39	1071.45	543.88	527.57
2016-17	141.62	128.65	12.97	527.57	483.86	1011.43	541.75	469.68
2017-18	129.86	127.21	2.65	469.68	411.41	881.09	395.43	485.66
2018-19 (till 09.2018)	124.05	53.00	71.05	485.66	576.24	1061.90	225.14	836.76

(ब). Autonomous Bodies की इकाइयों के विगत वर्षो में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैं:

(रु लाख में)

वर्ष	लागू नही	लागू नही	लागू नही
प्रारम्भिक शेष			
वर्ष के दौरान प्राप्तिया (क) केंद्रान्श (ख) राजयांश (ग) अन्य प्राप्तिया			
व्यय			
अंतिम शेष			

(स). केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(रु लाख में)

वर्ष			---	---	---	---	---
प्रारम्भिक अवशेष		---	---	---	---	---	---
वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ	---		---	---	---	---	
	---		---	---	---	---	
	---		---	---	---	---	
कुल प्राप्तियाँ			---	---	---	---	---
वर्ष के दौरान कुल व्यय			---	---	---	---	---
अंतिम अवशेष			---	---	---	---	---

iii). विभिन्न विभागों से निक्षेप के रूप में प्राप्त धनराशि एवं राज्य सरकार द्वारा आवंटित धनराशि के व्यय को सम्मिलित करते हुए इकाई 'A' श्रेणी की है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः-

<u>तकनीकी संवर्ग:</u>

1. मुख्य अभियंता (स्तर - 1)
2. मुख्य अभियंता (स्तर- 2)
3. अधीक्षण अभियंता (परिमण्डलवार)
4. अधिशासी अभियंता (प्रखण्डवार)
5. सहायक अभियन्ता
6. कनिष्ठ अभियन्ता
7. मानचित्रकार

<u>गैर-तकनीकी संवर्ग:</u>

1. वित्त नियंत्रक
2. खंडीय लेखाकार/खंडीय लेखाधिकारी
3. प्रशासनिक अधिकारी
4. वैयक्तिक सहायक
5. प्रधान सहायक
6. वरिष्ठ सहायक
7. कनिष्ठ सहायक
8. अनुसेवक

iv). लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः वर्तमान लेखापरीक्षा 09/2017 से 09/2018 तक की अवधि को आच्छादित करते हुए कार्यालय अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड- घनसाली (टिहरी गढ़वाल) के लेखा-अभिलेखों की नमूना जांच के आधार पर की गयी। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड- घनसाली (टिहरी गढ़वाल) की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 07.2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया । प्रतिचयन अधिकतम व्यय के आधार पर किया गया।

v). लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद- 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी.पी.सी. एक्ट, 1971) की धारा 13; लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

vi). खण्ड के भण्डार लेखों की अर्धवार्षिक लेखा बन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी क्रमश: माह 09/2018 में नहीं की गयी है तथा 09/2017 तक की गई।

vii). फार्म 51: माह 09/2018 तक कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, देहरादून को प्रेषित किया चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द्वीतीय के अवशेष निम्नवत है:- (धनराशि रु में)

भाग प्रथम रु 279,76,500/-

भाग द्वीतीय रु 29,42,514/-

viii). खण्ड के उचंत लेखों के अवशेष माह 09/2018 के अन्त में (धनराशि रु में)

क). प्रकीर्ण निर्माण अग्रिम - शून्य

ख). सामग्री क्रय - शून्य

ग). नकद परिशोधन - शून्य

घ). निक्षेप ₹ 8,33,97,970.00

ड़). भण्डार - शून्य

<u>भाग-दो(ब)</u>

प्रस्तर-1- बिना किसी स्वीकृति के रु. 23.44 लाख का व्ययाधिक्य

सामान्यतः किसी भी निर्माण कार्य को कराये जाने से पूर्व उसका आगणन बनाया जाता है जिसमे कार्य स्थल की आवश्यकता के अनुसार प्रयुक्त की जाने वाली मदों एवं उनकी मात्रा को दर्शाया जाता है उपरोक्त तथ्यों से संतुष्ट होने के पश्चात ही उच्चाधिकारी द्वारा उसको स्वीकृत किया जाता है। अतः कार्य की मदों एवं मात्रा मे किसी प्रकार का परिवर्तन किए जाने पर सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक है। कार्यालय अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग, अल्मोड़ा के अभिलेखों की जांच मे पाया गया कि-

(1) इसी प्रकार कीर्तिनगर बड़ियारगढ़ मोटर मार्ग के किमी॰25 से धद्दी भोरा मार्ग पर माल गड्डी तक ग्रामीण मोटर मार्ग का निर्माण किया जाना था । प्रस्तावित मोटर मार्ग की लंबाई 3.500 किमी थी । उक्त कार्य की स्वीकृत लागत 340.32 लाख थी। लेखा परीक्षा मे पाया गया कि उक्त कार्य के अंतर्गत किए गए 05 अनुबंधों मे से सभी अनुबंधों के अंतर्गत विभिन्न मदों मे अनुबंधित मात्रा से काफी अधिक मात्रा मे कार्य कर रु. 14.82 लाख का व्यायाधिक्य किया गया परंतु इस व्यायाधिक्य हेतु सक्षम अधिकारी से किसी प्रकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी थी ,जो पूर्णतः अनुचित था । विवरण निम्नवत है -

Agreement No.	Item of work	Bond Qty.	Executed Qty.	Excess Qty.	Rate	Amount
24/EE	Excavation in foundation for R/B walls for	84.22	140.57	56.35 (66.90%)	268.10	15107.44
	Random Rubble Masonry laid Dry in breast wall	188.82	485.22	296.40 (156.97%)	1890.00	560196.00
25/EE	RR Stone masonry laid in 1:6	234.87	290.45	55.58 (23.66%)	2961.40	164594.61
26/EE		158.00	274.39	116.07 (73.31%)	2961.40	343729.70
28/EE		137.01	189.62	52.61 (38.40%)	2961.40	155799.25
30/EE		102.60	184.46	81.86 (79.79%)	2961.40	242420.20
Total						**1481847.20**

(3) इसी प्रकार ऋषिकेश-देवप्रयाग एन.एच. 58 किमी. 69 से भ्वीट गाँव मोटर मार्ग का निर्माण किया गया था। प्रस्तावित मोटर मार्ग की लंबाई 4.525 किमी. थी। कार्यों को दो चरणों में सम्पन्न किया जाना था। जिसमें स्टेज-1 के कार्यों के अंतर्गत हिल कटिंग, ड्रैनेज एवं क्रॉस ड्रैनेज तथा रिटइनिंग/ब्रेस्ट बॉल के कार्यों किए जाने थे। प्रथम चरण के कार्यो हेतु अधीक्षण अभियंता, देहरादून द्वारा रु. 249.94 लाख की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि उक्त कार्यों के अंतर्गत किए गए 04 अनुबंधों में से 02 अनुबधों के अंतर्गत विभिन्न मदों में अनुबंधित मात्रा से काफी अधिक मात्रा में कार्यों कर रु. 8.62 लाख का व्ययाधिक्य किया गया परंतु इस व्ययाधिक्य हेतु सक्षम अधिकारी से किसी प्रकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी थी, जो पूर्णतः अनुचित था। विवरण निम्नवत है।

अनुबंध संख्या	मद का नाम	अनुबंधित मात्रा	निष्पादित मात्रा	अंतर	मद का मूल्य	व्यायाधिक्य धनराशि
10/EE	RR Stonemasonry laid in 1:6	32.89 Cum	78.37 Cum	45.48	2766.78	125833/-
	RR stone masonry laid dry	135.61 Cum	446.49 Cum	310.58	1817.59	564507/-
	HP Stone filling	75.17 Cum	102.80 Cum	27.63	662.90	18316/-
16/EE	RR stone masonry laid dry	116.98 Cum	201.09 Cum	84.11	1817.59	152878/-
Total						**861534/-**

लेखा परीक्षा द्वारा इस संबंध मे इंगित किए जाने पर इकाई ने अपने उत्तर मे बताया कि अधिक व्यय की गयी धनराशि का विचलन पत्र तैयार करके अनुमोदन हेतु उच्चाधिकारियों को प्रस्तुत किया जाएगा । इकाई का उत्तर स्वतः ही लेखा परीक्षा आपत्ति की पुष्टि करता है । अतः उच्चाधिकारिओ के संज्ञान मे लाये बगैर तथा बिना किसी पूर्व स्वीकृति के उपरोक्त दोनों कार्यों मे रु. 23.44 लाख(14.82लाख + 8.62 लाख) का व्यायाधिक्य किए जाने का प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है ।

<u>भाग-दो(ब)</u>

प्रस्तर-02- अनुबंधित समयावधि के अंतर्गत कार्य पूर्ण न किए जाने के परिणामस्वरूप दंडात्मक धनराशि रु. 14.57 लाख की वसूली न किया जाना।

अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग, घनसाली (टिहरी) के अभिलेखों की नमूना जांच मे पाया गया कि निर्माण कार्यों के अंतर्गत अनुबंध किए गए थे। अनुबंध के साथ संलग्न GPW 9 clause 04 मे समाहित शर्तों के अनुसार शिडयूल A मे दर्शाये माइलस्टोन के अंतर्गत कार्य सम्पन्न किया जाना था तथा विपरीत स्थिति मे बिलंब से कार्य किए जाने पर ठेकेदार के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही करते हुए दंडात्मक धनराशि अधिरोपित कर वसूले जाने की व्यवस्था की गयी थी, जिसके अंतर्गत प्रथम माइल स्टोन को प्राप्त न किए जाने की स्थिति मे अनुबंधित धनराशि की 2.5% राशि, द्वितीय माइल स्टोन को प्राप्त न किए जाने की स्थिति मे अनुबंधित धनराशि की 3.5% राशि, तथा तृतीय माइल स्टोन को प्राप्त न किए जाने की स्थिति मे अनुबंधित धनराशि की 4% राशि ठेकेदार के बिलो से रोकी जाएगी तथा यदि सम्पूर्ण कार्य चतुर्थ माइल स्टोन की अवधि मे पूरा नहीं किया जाता है तो रोकी गयी सम्पूर्ण धनराशि (अनुबंधित राशि की 10%राशि) जब्त कर ली जाएगी एवं अन्यथा की स्थिति मे ठेकेदार के बिलों से वसूल की जाएगी । लेखा परीक्षा पाया गया कि-

(1) बड़ियारगढ़-सौरखाल से कांडा ग्रामीण मोटर मार्ग किमी. 9.00 (कुमादिखाली) का निर्माण किया जाना था। प्रस्तावित मोटर मार्ग की लंबाई 1.525 किमी थी। कार्य को दो चरणों मे सम्पन्न किया जाना था जिसमे स्टेज -1 के कार्यों के अंतर्गत हिल कटिंग, ड्रैनेज एवं क्रास ड्रैनेज तथा रिटइनिंग/ब्रेस्ट बॉल के कार्य किए जाने थे। कार्यों के सम्पादन हेतु अधिशासी अभियंता स्तर के 06 अनुबंधों का गठन किया गया था। संलग्नक-1 के अनुसार सभी अनुबन्धो के अंतर्गत कार्य माह 06/2017 मे पूर्ण किए जाने थे परंतु लेखा परीक्षा अवधि (10/2018) तक उपरोक्त कार्य निर्धारित अवधि से 1.4 वर्ष अधिक बीत जाने के वावजूद भी अपूर्ण था। अतः उपरोक्त शर्तानुसार समय से कार्य पूर्ण न करने पर ठेकेदार के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही करते हुए अनुबंधित राशि की 10% धनराशि रु. 7.25 लाख की दंडात्मक वसूली की जानी चाहिए थी, परंतु इकाई द्वारा 4 अनुबन्धों के बिलों से मात्र रु. 40000 की राशि ही रोकी गई थी।

(2) ऋषिकेश-देवप्रयाग एन.एच.58 किमी.-69 से भ्वीट गाँव ग्रामीण मोटर मार्ग का निर्माण किया जाना था। प्रस्तावित मोटर मार्ग की लंबाई 4.525 किमी थी। कार्य को दो चरणों मे सम्पन्न किया जाना था जिसमे स्टेज -1 के कार्यों के अंतर्गत हिल कटिंग, ड्रैनेज एवं क्रास ड्रैनेज तथा रिटइनिंग/ब्रेस्ट बॉल के कार्य किए जाने थे। कार्यों के सम्पादन हेतु अधिशासी अभियंता स्तर के 04 अनुबंधों का गठन किया गया था। संलग्नक-3 के अनुसार अनुबन्धो के अंतर्गत कार्य माह-02,04,व 05 मे पूर्ण किए जाने थे परंतु लेखा परीक्षा अवधि (10/2018) तक उपरोक्त कार्य निर्धारित अवधि से 1.5 वर्ष से अधिक बीत जाने के वावजूद भी अपूर्ण था। अतः उपरोक्त शर्तानुसार समय से कार्य पूर्ण न

करने पर ठेकेदार के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही करते हुए अनुबंधित राशि की 10% धनराशि रु. 7.72 लाख की दंडात्मक वसूली की जानी चाहिए थी, परंतु इकाई द्वारा अनुबन्धों के बिलों से कोई राशि नहीं रोकी थी।

चूंकि उपरोक्त तीनों कार्य अनुबंधित अवधि से काफी समय बाद (10/2018) तक अपूर्ण थे अतः GPW 9 clause 04 sub section 4.5 के अनुसार समय से कार्य पूर्ण न करने पर ठेकेदार के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही करते हुए प्रथम प्रकरण की अनुबंधित राशि की 10% धनराशि रु. 18.76 लाख, दूसरे प्रकरण की अनुबंधित राशि की 10% धनराशि रु. 7.25 लाख, एवं तीसरे प्रकरण की अनुबंधित राशि की 10% धनराशि रु. 7.72 लाख अर्थात कुल धनराशि रु. 33.73 लाख उनके देयकों से वसूल कर जब्त की जानी चाहिए थी।

लेखा परीक्षा द्वारा इस संबंध मे पूंछे जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि तीनों प्रकरणों में ठेकेदार द्वारा समय वृद्धि की मांग हेतु आवेदन किया गया है यदि समयावृद्धि स्वीकृत नहीं होती है तो आगे के बिलों से अर्थदण्ड की वसूली कर ली जाएगी। इकाई का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ठेकेदार द्वारा उचित कारणो से समय वृद्धि हेतु आवेदन संबन्धित माइलस्टोन मे कार्य पूर्ण न हो पाने पर उसी समय किया जाना चाहिए था कार्य पूर्ण करने की निर्धारित अवधि से 1.5 वर्ष अधिक बीत जाने के पश्चात समय वृद्धि हेतु आवेदन किया जाना किसी प्रकार से स्वीकार्य नहीं है। अतः कुल रु. 14.57 लाख की दंडात्मक धनराशि की वसूली न किए जाने का प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है ।

संलग्नक -1

फर्म/ठेकेदार का नाम	अनुबन्ध संख्या	अनुबंध के अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि	कार्य पूर्ण करने की वास्तविक तिथि/ बिलंब (09/18 तक)	अनुबंध की धनराशि	अद्दतन भुगतान की राशि
श्री भारत सिंह	33/EE/2016-17, Dt.09-12-2016	08-06-2017	अपूर्ण/17माह	1470449.00	1118384.00
	34/EE/2016-17, Dt.09-12-2016	08-06-2017	अपूर्ण/17 माह	397185.00	205978.00
	35/EE/2016-17, Dt.09-12-2016	08-06-2017	अपूर्ण/17 माह	1686721.00	1223996.00
श्री मकान सिंह	32/EE/2016-17, Dt.09-12-2016	08-06-2017	अपूर्ण/17 माह	1085924.00	580419.00
श्री मोहन सिंह	37/EE/2016-17, Dt.09-12-2016	08-06-2017	अपूर्ण/17 माह	1217534.00	625482.00
श्री टीकराम	36/EE/2016-17, Dt.09-12-2016	08-06-2017	अपूर्ण/17 माह	1390786.00	1176398.00
योग				**7248599.00**	**4930657.00**

संलग्नक -2

अनुबंध संख्या	अनुबंध के अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि	कार्य पूर्ण करने की वास्तविक तिथि/बिलंब (10/18तक)	अनुबंध की धनराशि	अध्यतन भुगतान की राशि
10/ईई/2015-16	22.2.17	अपूर्ण /20 माह	2277064	1928040
16/ईई/2015-16	08.4.17	अपूर्ण /18 माह	2341613	781252
17/ईई/2015-16	11.5.17	अपूर्ण /17 माह	1622505	608181
18/ईई/2015-16	26.5.17	अपूर्ण /17 माह	1479827	246099
योग			**77,21,009**	**35,63,572**

STAN

प्रस्तर -1- रु. 201.46 लाख की धनराशि को अनावश्यक रूप से अवरुद्ध रखा जाना ।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, घनसाली की निक्षेप पंजिका भाग तीन का अवलोकन करने से ज्ञात हुआ कि विभिन्न ग्राहक विभागो द्वारा निक्षेप कार्यो के अंतर्गत अपने विभाग हेतु आवश्यक निर्माण कार्यों को कराने हेतु कार्यदाई संस्था के रूप मे विभाग को धनराशि प्रदान की गयी थी । लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि ग्राहक विभागो द्वारा उक्त निर्माण कार्यों हेतु धनराशि 17 माह से लेकर 134 माह की अवधि पूर्व प्रदान की गयी थी परंतु विभाग द्वारा उक्त कार्यों को इतनी अवधि मे भी पूरा न कर अपूर्ण रखा गया था तथा उक्त कार्यों की धनराशि को अवरुद्ध रखा गया था जिससे भविष्य मे न सिर्फ इन निर्माण कार्यों की लागत बढ़ेगी बल्कि संबन्धित विभाग भी इन निर्माण कार्यों के पूर्ण होने से मिलने वाले लाभ से वंचित थे । उल्लेखनीय है कि इन कार्यों मे से काफी कार्य अनारम्भ स्थिति मे थे । इन निक्षेप कार्यों के अंतर्गत 12 विभागो के 18 निर्माण कार्यों (संलग्नक -1) की रु.201.46 लाख की धनराशि विभाग की लापरवाही के चलते लगभग 1.5 वर्ष से लेकर 11 वर्ष तक की अवधि से अवरुद्ध रखी गयी थी ।

लेखा परीक्षा द्वारा इस संबंध मे पूंछे जाने पर विभाग ने अपने उत्तर मे बताया कि पहाड़ों के भौगोलिक स्थिति एवं कभी -कभी ग्राहक विभाग द्वारा समय से भूमि उपलब्ध न कराये जाने के कारण कार्यों को पूर्ण करने मे देरी होती है । अपूर्ण कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने हेतु आदेश जारी किए जा रहे हैं ।इकाई का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ग्राहक विभागों द्वारा 1.5 वर्ष से लेकर 11 वर्ष तक की अवधि पूर्व ही धनराशि उपलब्ध करा दी थी जो कि निर्माण कार्यों को करने के लिए पर्याप्त समय से भी अधिक था । इस प्रकार इकाई द्वारा निक्षेप कार्यों के अंतर्गत कुल रु. 201.46 लाख की धनराशि को अनावश्यक रूप से अवरुद्ध रखे जाने का प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है ।

संलग्नक-1

(धनराशि रु में)

विभाग का नाम	**कार्य का नाम**	**धनराशि प्राप्ति का माह**	**09/2018 को अवशेष धनराशि**
सामुदायिक विभाग	वि०ख० मुख्यालय भीलनंगना में बहुद्देशीय भवन/सभागार का निर्माण कर	01/2016	2312387
	वि०ख० कार्यालय जाखणीधार के अनावासीय भवनों का निर्माण कार्य	04/2016	3011717
पर्यटन	बाल गंगा नदी पर स्नानघाट एवं सी०सी० मार्ग का निर्माण कार्य	01/2016	637609
	ग्राम सटियाला में शहीद जय सिंह गुसाई स्मारक द्वार निर्माण कार्य	01/2017	100000
शिक्षा	रा०उ०मा०वि० गोर्तीकाडा में कक्षकक्ष निर्माण कार्य	06/2011	396139
	रा०उ०मा०वि० केपार्स में कक्षा-कक्ष विज्ञान प्रयोगशाला एवं कम्प्यूटर कक्ष एवं क्राफ्ट कक्ष,पुस्तकालय कक्ष शौचालय खण्ड का निर्माण कार्य	12/2011	175048
	रा०उ०मा०वि० सजवाण कांडा में कक्षा-कक्ष विज्ञान प्रयोगशाला एवं कम्प्यूटर कक्ष एवं क्राफ्ट कक्ष,पुस्तकालय कक्ष शौचालय खण्ड का निर्माण कार्य	12/2011	1173968
	रा०हा० स्कूल मोलधार लोस्तु में दो कक्षा कक्ष निर्माण कार्य	05/2012	370444
	रा०उ०मा०वि० बैजवाड़ी में कक्षा-कक्ष विज्ञान प्रयोगशाला एवं कम्प्यूटर कक्ष एवं क्राफ्ट कक्ष,पुस्तकालय कक्ष शौचालय खण्ड का निर्माण कार्य	12/2012	4755000
	रा०इ०का० भरेतीधार में प्रयोगशाला निर्माण कार्य वि०ख० जाखणीधार	02/2014	224310
	रा००इ०का० कनैलधार में प्रयोगशाला निर्माण कार्य	02/2014	113817
	रा००इ०का०नगराजधार में प्रयोगशाला निर्माण कार्य	02/2014	177949
	रा०प्रा०वि०कोटी जाखी में दो कक्षा कक्ष निर्माण कार्य	04/2017	339599
	रा०प्रा०वि० सेमापुनाडू पुनर्निर्माण वि०ख० जाखणीधार	04/2017	127985
उत्तराखण्ड सीमान्त पिछड़ा क्षेत्र	रा०इ०का० बछेलीखाल में 02अतिरिक्त कक्षा कक्ष निर्माण कार्य	09/2014	119471
	आंगनवाड़ी केंद्र भवन सिरौला का निर्माण कार्य	09/2014	115006
सांस्कृतिक	अनुसूचित जाति बाहुल्य भिलंगना टि०ग० में ढोल सांस्कृतिक प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण कार्य	03/2014	1395830
उद्यान	रा०उद्यान खण्ड चमेल्ड़ा में टाइप द्वितीय के आवास एवं तारवाड़ का निर्माण कार्य	04/2013	2224182

होम्योपैथी	रा0होम्योपैथिक चिकित्सालयकुम्भशिखा वि०ख० भिलंगना टाइप द्वितीय के २ नंबर आवासीय भवन का निर्माण कार्य	06/2010	421180
श्रम एवं सेवायोजन	रा०औ० प्रशिक्षण संस्थान चमिपाला में बैल्डर कार्यशाला का निर्माण कार्य	10/2015	215056
स्वास्थ्य	परिवार कल्याण उपकेंद्र ललूड़ीखाल देवप्रयाग का निर्माण कार्य	07/2010	110241
	परिवार कल्याण उपकेंद्र चौरीखाल का निर्माण कार्य	05/2012	146289
राजस्व	पटवारी चौकी देवलकण्डी वि०ख० देवप्रयाग का निर्माण कार्य	06/2013	134740
पशुपालन	पशुचिकित्सालय वगबान देवप्रयाग का निर्माण कार्य	07/2007	105611
	पशुचिकित्सालय डांगी नैलचामी वि०ख० भिलंगना का निर्माण कार्य	07/2007	132872
	पशुचिकित्सालय बछेलीखाल के आवासीय भवन का निर्माण कार्य	05/2015	1009577
खेल	ग्राम जोगियाणा में खेल मैदान का निर्माण कार्य	11/2014	100000
कुल धनराशि			**201,46,027**

STAN

<u>प्रस्तर</u>- 2 :- धनराशि रु 9.40 लाख की धनराशि अवरुद्ध रखा जाना।

वित्तीय नियमानुसार तीन वर्षों तक रोकी गई धनराशि का दावा न किये जाने पर अदावाकृत धनराशि को व्यपगत धनराशि के रूप में राजस्व खाते जमा कर दिया जाना चाहिए।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड- घनसाली की निक्षेप पंजिका भाग ii, iv & v के निरीक्षण में पाया गया कि प्रखण्ड द्वारा संबंधितों द्वारा तीन वर्षो से अधिक समय से दावा न किए जाने के बावजूद राजस्व खाते में जमा किए जाने की कार्यवाही नहीं की गई थी। विवरण:-

क्र. सं.	पंजिका	**धनराशि के संव्यवहार (Transaction) का माह**	**ठेकेदार/ संबन्धित का नाम** (मै./ श्री / श्रीमती)	**अवशिष्ठ धनराशि(रु) (as on 30.09.2018)**	**मद सं. (Item No.)**
1	भाग ii & iv पंजिका	08.2014	मूर्ति सिंह	58249	9
2	---तदैव---	09.2014	पुरुषोत्तम दत्त उनियाल	114200	2
3	---तदैव---	10.2014	शीधर प्रसाद कुकरेती	17353	7
4	---तदैव---	10.2014	उम्मेद सिंह पँवार	4021	11
5	---तदैव---	10.2014	उम्मेद सिंह पँवार	6809	12
6	---तदैव---	11.2014	राजेन्द्र प्रसाद रतुड़ी	8909	7
7	---तदैव---	11.2014	विक्रम सिंह कुँवर	14337	8
8	---तदैव---	11.2014	यशपाल सिंह पँवार	19739	9
9	---तदैव---	11.2014	पुरुषोत्तम दत्त उनियाल	122500	13
10	**भाग v पंजिका**	07.2011	गजेन्द्र सिंह पँवार	2000	1
11	---तदैव---	07.2011	खिलानन्द भट्ट	2000	2
12	---तदैव---	07.2011	जगदम्बा प्रसाद भट्ट	24000	3
13	---तदैव---	07.2011	ध्यान सिंह रावत	2415	4
14	---तदैव---	07.2011	बुद्दिसिंह बूटोला	25000	5
15	---तदैव---	07.2011	सूर्य प्रकाश रतुड़ी	5000	6
16	---तदैव---	07.2011	दुर्गा प्रसाद डंगवाल	5000	7
17	---तदैव---	07.2011	नरेन्द्र सिंह	5000	8
18	---तदैव---	07.2011	उम्मेद सिंह बंगारी	48000	9
19	---तदैव---	07.2011	दुर्गा प्रसाद नौटियाल	5000	10
20	---तदैव---	07.2011	सब्ब सिंह नेगी	15000	11

21	---तदैव---	07.2011	सोहबत सिंह बिष्ट	5000	12
22	---तदैव---	07.2011	दुर्गा प्रसाद डंगवाल	5000	13
23	---तदैव---	07.2011	दुर्गा प्रसाद डंगवाल	10000	15
24	---तदैव---	07.2011	सब्बल सिंह नेगी	3000	16
25	---तदैव---	07.2011	धनपाल सिंह बिष्ट	9000	17
26	---तदैव---	07.2011	सूर्य प्रकाश रतुड़ी	20000	18
27	---तदैव---	07.2011	नैन सिंह राणा	130000	19
28	---तदैव---	07.2011	सब्बल सिंह	50297	20
29	---तदैव---	07.2011	रणवीर सिंह	5000	21
30	---तदैव---	07.2011	विनोद सिंह रावत	15000	22
31	---तदैव---	07.2011	ज्ञान सिंह	5000	23
32	---तदैव---	07.2011	पुरुषोत्तम दत्त	35000	24
33	---तदैव---	05.2012	पूरन सिंह	15000	25
34	---तदैव---	05.2012	जयवीर सिंह	73000	26
35	---तदैव---	05.2012	उम्मेद सिंह पँवार	20000	27
36	---तदैव---	05.2012	बद्रीदत्त जोशी	15000	28
37	---तदैव---	05.2012	शूरवीर सिंह राणा	10000	29
38	---तदैव---	05.2012	उम्मेद सिंह पँवार	10000	30
			योग =	**9,39,829/-**	

इस सन्दर्भ में लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर अधिशासी अभियंता ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए कहा कि " समय समय पर संबंधितों को सूचित किया जाता रहा है, कोई उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में धनराशियाँ अदावाकृत रह जाती हैं, शीघ्र ही राजस्व खाते में जमा करने की प्रक्रिया सम्पन्न की जाएगी" उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योकि 04 वर्ष से 07 वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी लेखापरीक्षा अवधि के माह 09/2018 तक उक्त धनराशि रु 9,39,829/- अवरुद्ध पायी गई।

अतः धनराशि रु 9.40 लाख की धनराशि अवरुद्ध रखे जाने का प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
SS/AIR-05/ 2014-15	1,2	2	NIL
SS/AIR-92/ 2016-17	NIL	1,2,3,4	NIL
SS/AIR-110/ 2017-18	1	1	NIL

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
SS/AIR-05/ 2014-15	**भाग- 2'अ'** प्रस्तर सं- 1,2; **भाग- 2'ब'** प्रस्तर सं- 2; **STAN-** nil	उच्चाधिकारियों के अनुमोदन लंबित होने के कारण अनुपालन आख्या अप्रस्तुत।	प्रस्तर यथावत रखा जाता है।	--
SS/AIR-92/ 2016-17	**भाग- 2'अ'** प्रस्तर सं- nil; **भाग- 2'ब'** प्रस्तर सं- 1,2,3,4; **STAN-** nil	उच्चाधिकारियों के अनुमोदन लंबित होने के कारण अनुपालन आख्या अप्रस्तुत।	प्रस्तर यथावत रखा जाता है।	--
SS/AIR-110/ 2017-18	**भाग- 2'अ'** प्रस्तर सं- 1; **भाग- 2'ब'** प्रस्तर सं- 1; **STAN-** nil	उच्चाधिकारियों के अनुमोदन लंबित होने के कारण अनुपालन आख्या अप्रस्तुत।	प्रस्तर यथावत रखा जाता है।	--

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

.... शून्य ....

भाग-V

आभार

1). कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून, लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड- घनसाली (टिहरी गढ़वाल) तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः-

अप्रस्तुत अभिलेखः शून्य

2). सतत् अनियमितताएः शून्य

3). लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया :

नाम	**पदनाम**	**अवधि**
श्री के.बी. थपलियाल	अधिशासी अभियंता	विगत लेखापरीक्षा से अब तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड- घनसाली (टिहरी गढ़वाल) को इस आशय से प्रेषित कर दी गयी, जिसकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर अनुपालन आख्या सीधे "उप-महालेखाकार/ सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून- 248195" को प्रेषित कर दी जाय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.